मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कालाघाट पुल का निर्माण

1988. **श्री गंगाचरण दीक्षित:** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कालाघाट पुल का निर्माण कार्य में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है जिसके परिणामस्वरूप निर्माण लागत में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है: और

(ग) उस पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कालघाट पुल का निर्माण-कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है इस कार्य के लिये निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और वे विचाराधीन है। अधोभूमि से संबद्ध खोज के बारे में कुछ अन्वेषणों का भी अध्ययन किया जा रहा है। अन्वेषणों को शीघ्रता से करने और निविदाओं से सबद्ध निर्णय को अंतिम रूप देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं अतः लागत में वृद्धि का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

भारत से मूर्तियों और चित्रों का चोरी छिपे देश से बाहर ले जाया जाना

1989. **श्री विभूति मिश्र:** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों और चित्रों को चुराके विदेशों में तस्कर करने के दृष्टिकोण से ले जाये जाने की घटनाओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही करने का सरकार का विचार है:

(ग) क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने पास ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों और चित्रों को न रख सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी. पी. यादव): (क) जी हां।

(ख) से (घ). स्मारकों/संग्रहालयों से चोरियों को रोकने तथा पुरावशेषों के अवैध निर्यात को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है :—

(1) केन्द्रीय सरक्षित स्मारकों में और उसके आस पास तितर-बितर पड़ी मूर्तिया, जिनकी उस स्थान पर जहा कि वे पड़ी है पर्याप्त सुरक्षा नहीं की जा सकती, उन्हें एकत्रित करके मूर्तियों के शेडों में एकत्रित किया जा रहा है जहा उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल की जा सकती है।

(2) केन्द्र सुरक्षित स्मारकों के पहरा-निगरानी के स्टाफ को उपलब्ध निधियों के अंतर्गत यथासम्भव सीमा तक सुदृढ़ किया गया है।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन चुने हुए संग्रहालयों और स्मारकों पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था करायें।

(4) सर्वेक्षण के पहरा-निगरानी स्टाफ को अधिक सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी गई है। चोरी के मामलों को तत्काल पुलिस को सूचित किया जाता है।

(5) ज्यों ही चोरी के मामले नजर आते है, इनकी सूचना विशेषज्ञ सलाहकार समिति और प्रमुख बन्दरगाहों के सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भी भेजी जाती है ताकि चोरी हुए पुरावशेषों को चोरी से देश के बाहर भेजे जाने पर नजर रखी जा सके।